—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :— 04 / 2022

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0

.....आवेदक

बनाम

1. श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री होतम सिंह (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स: जयप्रकाश डेयरी , बजरिया , धौलपुर निवासी उम्मेदी नगर , राजाखेडा बाईपास, धौलपुर जिला धौलपुर

.....अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) **/51**
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :—

आवेदक की ओर से :— श्री विश्वबन्धु गुप्ता,खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :— असालतन (स्वंय)

निर्णय

दिनांक — 25.08.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 31.03.2022 को सांय 11. 00 पीएम बजे मैसर्स: जयप्रकाश डेयरी , बजरिया , धौलपुर पर निरीक्षण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री होतम सिंह (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स: जयप्रकाश डेयरी , बजरिया , धौलपुर निवासी उम्मेदी नगर , राजाखेडा बाईपास, धौलपुर जिला धौलपुर का होना बताया एवं उनसे फर्म की खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र 22214065000115 होना जाहिर किया । निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त विक्रेता की डेयरी पर रखे प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 100 लीटर गाय का दूध रखा हुआ था , जो आमजन को विक्रय करने हेतु रखा था । उक्त गाय के दूध में मिलावट का शक हुआ तो

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक ने उक्त गाय के दूध का नमूना जॉच देने हेतु कहा और विकेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । विकेता के गाय का दूध में से 2 लीटर गाय दूध नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विकेता को रूपये 50/—(पच्चास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर गाय दूध को अलग—अलग 4 साफ और सूखी कॉच की बोतलों डालकर फार्मलीन की 40—40 बूँदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी 2040 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलीन की मात्रा, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज मं लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2040 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विकेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर ही बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 60 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस/08/एक्ट/2022/185 दिनांक 01.02.2022 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विकय करके विकेता श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री होतम सिंह (मालिक एवं विकेता), मैसर्स: जयप्रकाश डेयरी , बजरिया , धौलपुर निवासी उम्मेदी नगर , राजाखेडा बाईपास, धौलपुर जिला धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने कहा कि वह कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा जबाव पेश करने से मना किया तथा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये प्रकरण को निस्तारण करने की प्रार्थना कर अपनी सहमति व्यक्त की।

Scanned with OKEN Scanner

–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 04/2022 सरकार बनाम जयप्रकाश शर्मा

(3)

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की ।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थी उक्त गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51एवं विनिमय–2011 के उल्लंघन की दशा में सबस्टेण्डर्ड (Substandard) में राशि पॉच लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री होतम सिंह (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्सः जयप्रकाश डेयरी , बजरिया , धौलपुर निवासी उम्मेदी नगर , राजाखेडा बाईपास, धौलपुर जिला धौलपुर पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner